राष्ट्रपति
(President)

- संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रि-परिषद् से मिलकर बनी है.
- राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है और उसका पद सरकारी अधिकारियों में उच्चतम और सर्वाधिक सम्मानित है. यह परम्परा ब्रिटेन से ली गई है. जहाँ अभी भी राजा को राज्य का प्रमुख माना जाता है. परन्तु ब्रिटेन में राजा वंशानुगत होता है, जबकि भारत के राज्याध्यक्ष एवं सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती है.
- संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा.
- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का विशेष महत्व है. इसके चार प्रमुख कारण हैं–प्रथम, राष्ट्रपति ऐसे समूह द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का समावेश होता है. इसमें राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं. द्वितीय, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वह संविधान की रक्षा के रूप में होती है. तीसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गयी है. चौथा देश के प्रति रक्षा बलों के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है.
- संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएँ निश्चित की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं–

1. वह भारत का नागरिक हो.
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.
3. लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो. अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए.
4. भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण न किये हो.

   अनुच्छेद 58(2) की व्याख्या के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्यों के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए योग्य माना गया है. किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उसे पद के अतिरिक्त अन्य पद को रिक्त करना होगा.

   राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता. यदि इन विधानमण्डलों का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो, तो जिस तिथि से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से उस सदन में उसकी सदस्यता का अन्त हो जाएगा.

- 4 मार्च, 1974 को संसद ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सम्बन्धी (संशोधन) विधेयक पारित किया. इसके अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा. उसे 2,500 रुपये की जमानत दाखिल करनी होगी. राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के दस सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे और दस सदस्य ही अनुमोदन करेंगें. इसका उद्देश्य अवांछनीय प्रत्याशियों पर प्रतिबन्ध लगाना है.

Scanned with CamScanner

- जून, 1997 में एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से गैर-गम्भीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए प्रत्याशी की जमानत राशि तथा प्रत्याशी के प्रस्तावकों, अनुमोदकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है. अब राष्ट्रपति के प्रत्याशी को 15,000 रुपये की जमानत देनी होगी तथा आवेदकों, अनुमोदकों की संख्या 50 कर दी गई है.
- संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है. वह अपने पद पर अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस समय तक बना रहेगा, जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले.
- यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के लिए रिक्त हो जाये, तो इस स्थिति में नये राष्ट्रपति का चुनाव पुनः पाँच वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिये होता है. राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से किसी भी दशा में छः माह पूर्व भरा जाना चाहिए.
- कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर नये निर्वाचन के पूर्व होने तक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा. अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा. मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य सँभालेगा.

  उपर्युक्त में से कोई भी व्यक्ति 6 माह से अधिक इस पद पर कार्य नहीं कर सकता. इस अवधि में वह व्यक्ति राष्ट्रपति के सभी अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग कर सकता है, अपवादस्वरूप क्षमा-दान को.
- राष्ट्रपति का पद अत्यधिक सम्मान तथा गौरव का है. उसे निःशुल्क सरकारी निवास (राष्ट्रपति भवन) के अतिरिक्त 50 हजार रुपया प्रति माह वेतन मिलता है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को वो सभी भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो समय-समय पर संसद द्वारा निश्चित किये जाएंगे. कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते कम नहीं किये जा सकते. अवकाश ग्रहण कर लेने पर भूतपूर्व राष्ट्रपति को 10 हजार रुपए मासिक पेन्शन, मुफ्त आवास और कुछ राशि सचिवालय सहायता के लिए मिलती है. साथ ही उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है.
- भारतीय संविधान के केन्द्र बिंदु होने की वजह से राष्ट्रपति को बहुत-सी व्यक्तिगत उन्मुक्तियाँ तथा सार्वजनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं.
- राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं. अपने पद के कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकद्मा नहीं चलाया जा सकता. उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न कारागार भेजा जा सकता.
- राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके विरुद्ध दण्ड-विधि की कोई प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती है. उसके विरुद्ध दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन इस आशय की लिखित सूचना दो माह पूर्व देनी होगी.
- संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है.
- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं. यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली के अनुरूप है, जिसमें राज्याध्यक्ष नाममात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है.
- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा करने की व्यवस्था है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं–

  प्रथम, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा

  द्वितीय, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल में संघीय संसद के साथ-साथ राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित करके इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो तथा संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तव में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके.
- मई, 1992 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधान सभाओं को भी इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है. यदि किसी राज्य की विधान सभा भंग हो, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न होगा? संविधान में इस विषय में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन संविधान के ग्यारहवें संविधान संशोधन (1961) में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त था.
- राष्ट्रपति पद के लिए यह आवश्यक है कि उसका नामांकन पत्र कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा कम-से-कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाये.
- राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15000 रुपये की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी. यदि किसी

Scanned with CamScanner

प्रत्याशी को कुल मतों के छठे भाग के बराबर मत नहीं मिलते, तो यह राशि जब्त हो जाती है.

- 1974 के राष्ट्रपति के चुनाव के समय गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू था. इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बिना एक विधान सभा के भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है.
- राष्ट्रपति के चुनाव को कम-से-कम 20 निर्वाचक न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं. लेकिन 1975 के नये संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार को हस्तगत करके संसद की एक विशेष समिति को सौंप दिया गया है.
- इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.
- राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक-मंडल द्वारा परोक्ष रीति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर किया जाता है.
- इस पद्धति के अनुसार चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 'न्यूनतम कोटा' प्राप्त करना आवश्यक होता है.
- राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र इस प्रकार है–

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिये गये मतों की संख्या} + 1}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या} + 1}$$

- न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि मतदाताओं के स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सके.
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में परस्पर राज्यों के सदस्यों के मतों में एकरूपता लाने के लिए तथा सामूहिक रूप से सब राज्यों तथा संघ के मतदाताओं के मतों में समानता लाने के लिए प्रत्येक संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों के मूल्य के निर्धारण की एक विशेष व्यवस्था की गयी है.
- प्रथम राष्ट्रपति का निर्वाचन–संविधान सभा की 24 जनवरी, 1950 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को निर्विरोध भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद भार संभाला.
- राष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अधीन विधिवत्, चुनाव मई 1952 में हुए जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद विजयी हुए. राष्ट्रपति के विधिवत् द्वितीय निर्वाचन में भी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पुनः निर्वाचित हो गए. इस प्रकार डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962 तक राष्ट्रपति पद पर रहे.
- केवल वी. वी. गिरि के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी. अभी तक दूसरे चक्र की गणना से गिरि ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं.
- केवल नीलम संजीव रेड्डी, ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए.
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी तथा ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं.

प्रश्न यह उठता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया है और क्यों निर्वाचक-मंडल में विधान सभाओं के सदस्यों को स्थान दिया गया. अप्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता तो लगभग 20 करोड़ मतदाताओं के लिए व्यवस्था करना अत्यधिक कठिन होता.
2. राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख हैं तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका. अतः इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन का औचित्य नहीं है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से कोई सैद्धांतिक हानि नहीं है.
3. राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल में राज्यों की विधान सभा के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि राष्ट्रपति सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकें.

- श्री नेहरू के शब्दों में "राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल में संघीय संसद के साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रपति चुनाव का रूप प्राप्त हो सके."

4. निर्वाचक-मंडल में संसद-सदस्यों के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाये रखना था. यदि निर्वाचक-मंडल में केवल संसद के ही सदस्य भाग लें तो बहुसंख्यक दल सरलता से अपने प्रत्याशी को निर्वाचित करा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी बहुमत दल का नेता नहीं होता. इसी कारण विधान सभाओं के सदस्यों को निर्वाचक-मंडल में स्थान दिया गया है जिससे बहुमत दल अपने ही बल पर अकेले राष्ट्रपति के

Scanned with CamScanner

पद पर अपने प्रत्याशी को निर्वाचित नहीं कर सकता.

5. आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति बहुमत मतों के बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो. इस पद्धति से छोटे-छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में महत्व हो जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव को बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सकता है.

- यदि साधारण बहुमत प्रणाली इस निर्वाचन के लिए अपनायी जाती, तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं था, किन्तु वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में यह निश्चित है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण बहुमत प्राप्त करने पर ही हो सकता है.
- राष्ट्रपति के पदच्युत का तरीका–
  1. **त्यागपत्र द्वारा**–अपनी हस्तलिपि हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ राष्ट्रपति इसे उपराष्ट्रपति को समर्पित करते हैं तथा उपराष्ट्रपति यथाशीघ्र इसे स्पीकर को सूचित करते हैं. यदि यह उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है.
  2. **महाभियोग द्वारा**–संविधान के अनुच्छेद-61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है. इस कार्यवाही का आधार संविधान का उल्लंघन करने पर अथवा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर होता है.
- महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरम्भ की जा सकती है. जिसमें महाभियोग का कारण स्पष्टतः उल्लेखित होता है तथा इस प्रपत्र पर उस सदन के 10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है.
- इसके उपरांत सूचना के रूप में यह प्रपत्र उस सदन की सम्पूर्ण संख्या के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है तथा महाभियोग की कार्रवाई करने के पूर्व 14 दिनों की अवधि राष्ट्रपति को दी जाती है.
- इस अवधि के दौरान (14 दिनों के भीतर) उस सदन का सत्र चालू रहता है. जिसमें राष्ट्रपति कभीभी स्वयं या अपने अधिवक्ता के साथ लगाए गए आरोपों के खंडन हेतु प्रस्तुत हो सकते हैं. यदि उनका प्रतिकार स्वीकार कर लिया जाता है, तो महाभियोग की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, किन्तु यदि ऐसा न हो, तो–

महाभियोग की तिथि पर यदि उस सदन के कुल सदस्य संख्या को कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है, तो यह प्रपत्र दूसरे सदन में भेजा जाता है तथा वहाँ भी इन्हीं प्रक्रिया से गुजर कर यह पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है.

- भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत संघ का प्रधान है. संविधान द्वारा उसे अनेक शक्तियाँ एवं अधिकार प्राप्त हैं.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कर सकता है.
- पुनः संविधान के अनुच्छेद-77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त प्रशासन सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं और औपचारिक रूप से भारत सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय होते हैं.
- इसका स्पष्टीकरण संविधान के अनुच्छेद-74 से होता है जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा.
- संविधान संशोधन (चालीसवाँ) अधिनियम 1978 की धारा 11 द्वारा अब संविधान में यह अंश स्थापित किया गया है कि "परन्तु मंत्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा.
- संविधान के अनुच्छेद-78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के संघीय प्रशासन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दे. राष्ट्रपति की इच्छानुसार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे विषयों को, जिन पर केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखा जा सकता है.
- कार्यपालिका शक्तियों के अन्तर्गत प्रशासकीय राजनीतिक सैनिक और न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ सम्मिलित हैं.
- राष्ट्रपति प्रशासन का औपचारिक अध्यक्ष है और सभी संघीय अधिकारी चाहे वे सैनिक सेवा के हों अथवा असैनिक सेवा के, राष्ट्रपति के अधीन हैं.
- राष्ट्रपति को नियुक्ति और पदच्युति की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं. जिन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उनमें से प्रमुख हैं–
  1. राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं. यदि कोई दल पूर्ण बहुमत में न

Scanned with CamScanner

ही, तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को जो संसद में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हो, प्रधानमंत्री बना सकता है, किन्तु उस व्यक्ति को अपने कार्यकाल के 6 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना पड़ता है.

2. प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति अन्य संघीय मंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राजदूत एवं अन्य राजनयिक अधिकारी आदि को नियुक्त करता है. वह विभिन्न आयोगों के सदस्यों को भी नियुक्त करता है, जैसे–वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग आदि. यह नियुक्तियाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है.

- राष्ट्रपति को अपने ही मंत्रियों, राज्यपालों, महाधिवक्ता, उच्च सैनिक अधिकारियों आदि को पदच्युत करने का अधिकार है.
- राष्ट्रपति प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है और राज्य का अध्यक्ष होने के नाते सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है.
- देश के राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है और विदेशी राजदूत अपने पद के प्रमाण-पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं.
- सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं. राष्ट्रपति न्याय और सम्मान का स्रोत है.
- राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा करने, दिये गये दण्ड को कम करने, दण्ड में छूट देने, दण्ड को रोकने आदि का अधिकार है.
- राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिकों को उपाधियों के माध्यम से सम्मानित करता है.
- चूँकि भारत में उत्तरदायी सरकार है, इसलिए राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है.
- विधायनी शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है. संघ की विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों में निहित माना गया है.

  राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता.
- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमें भाषण और संदेश भेजने का अधिकार है. इसके अतिरिक्त संसद को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा विघटन करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है.
- राष्ट्रपति राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज-सेवा से सम्बन्धित विशिष्ट और व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए.
- राष्ट्रपति को लोक सभा के भी कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है. वह अधिक-से--अधिक दो ऐंग्लो-इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं.
- संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है.
- वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियम का रूप दे सकता है.

  संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त वह किसी भी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है अथवा विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित होकर यदि स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत हो जाये, तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है.
- कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व आज्ञा के बिना संसद में प्रस्तावित ही नहीं किये जा सकते हैं. जैसे वित्त विधेयक किसी राज्य की सीमा अथवा नाम को बदलने से सम्बन्धित विधेयक, व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित विधेयक.
- संविधान के अनुच्छेद-123 के अंतर्गत जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है. ये उन विषयों से सम्बन्धित होते हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है.
- ऐसे अध्यादेश का वैसा ही प्रभाव होगा जैसा संसद द्वारा स्वीकृत अधिनियमों का और संसद के अधिवेशन के आरम्भ होने की तिथि से छः सप्ताह तक जारी रहेगा तत्पश्चात् इसे रद्द समझा जाएगा.
- संसद तिथि से पूर्व भी इसे रद्द करार दे सकती है.
- राष्ट्रपति स्वयं जब चाहे अपना अध्यादेश वापस ले सकता है.
- यदि आपातकाल लागू हो, तो यह अनंतकाल तक जारी रह सकता है. जब तक कि नए चुनावों के उपरान्त लोक सभा का गठन न हो जाए.
- राज्यों के सम्बन्ध में भी राष्ट्रपति को कुछ विधायनी शक्तियाँ प्राप्त हैं. राज्यपाल विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है. राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है,

Scanned with CamScanner

अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल के पास पुनः विचारार्थ वापस कर सकता है.

- राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध सम्बन्धी विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति के राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते.
- यदि राज्य का विधानमंडल नागरिकों की सम्पत्ति अधिगृहीत करने का विधेयक पारित करे तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता.
- समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर राज्य द्वारा निर्मित कानून यदि संसद के किसी कानून के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वे वैध नहीं हो सकते.
- राष्ट्रपति को अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमनद्वीप, द्वीपसमूह आदि क्षेत्रों की शक्ति विकास और सुप्रशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार है.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-239 के अनुसार संघ, राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का प्रयत्न उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही आरोपित है.
- ये दोनों सदनों में काँटे की टक्कर की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास करते हैं.
- राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, किंतु किसी भी सदन की बैठक में जा सकते हैं.
- ये दोनों ही सदनों को संबोधित कर सकते हैं, अलग-अलग या संयुक्त रूप से.
- वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं.
- बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई धन-विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता. विशेषतः ऐसा विधेयक जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे कर या शुल्क से हो अथवा जिसका कुछ अंश राज्यों को मिलने वाला हो.
- भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन है और राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अग्रदाय रूप में शासन को उससे धन दे सकता है.
- राष्ट्रपति को राज्यों में आय-कर का वितरण करने की शक्ति प्राप्त है और उसे राज्यों के लिए पटसन के निर्यात-कर से प्राप्त होने वाली धनराशि का अंश निश्चित करने का भी अधिकार है.
- उसे संघ तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध निश्चित करने के लिए वित्त-आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है.
- उसे देशी नरेशों को प्रिवीपर्स देने का अधिकार था, जो अब समाप्त हो गया है.
- राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं.
- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव करने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करने आदि का अधिकार राष्ट्रपति को है.
- संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उसे क्षमादान का अधिकार दिया गया है. वह दण्ड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है अथवा दण्ड में परिवर्तन कर सकता है. इस अधिकार का प्रयोग केवल तीन प्रकार के दण्डों पर किया जा सकता है.
  1. यदि दण्ड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो.
  2. यदि दण्ड ऐसे मामले में दिया गया हो, जो केन्द्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हों, और
  3. यदि अपराधी को मृत्यु दण्ड दिया गया हो.

  व्यवहार में राष्ट्रपति उक्त सभी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है.
- अनुच्छेद 72 के अनुसार यह किसी भी न्यायालय के फैसला के विरुद्ध याचिका नहीं होती है, परंतु यह भूमि के सर्वोच्च पदाधिकारी के समक्ष क्षमा-याचना का पत्र होता है. यह राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार है तथा इसके लिए कभी पूछ-ताछ नहीं की जाती है.
- राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, परन्तु वह सैनिक शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निश्चित कानून के अन्तर्गत ही करता है.
- वस्तुतः युद्ध और शान्ति के समय कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः संसद को प्राप्त है और बिना संसद की स्वीकृति या बाद में संसद की स्वीकृति लेने की आशा में न तो वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, और न ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए भेज सकता है.
- राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है. वह राजदूतों की नियुक्ति करता है. वह विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करता है. अंतर्राष्ट्रीय सन्धियाँ समझौते या बातचीत राष्ट्रपति के नाम से ही किये जाते हैं. व्यवहार में ये तभी लागू होते हैं जब इन पर संसद की स्वीकृति मिल जाती है.
- विदेशी राजदूतों की आगवानी तथा विदेश में भारतीय दूतों को भेजने का कार्य, परन्तु ये दोनों कार्य मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर किए जाते हैं.

Scanned with CamScanner

- हमारे संविधान में देश की रक्षा को सुदृढ़ करने, संकट में केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने तथा व्यापक आन्तरिक अशान्ति क्रांति और उपद्रव को रोकने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान की गयीं हैं–
  1. युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति से उत्पन्न संकट.
  2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने से उत्पन्न संकट.
  3. वित्तीय संकट.
- मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि युद्ध बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शान्ति-व्यवस्था के नष्ट होने की आशंका है या यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है.
- संसद की स्वीकृति के बिना भी यह दो माह तक लागू रहती थी और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता, लागू रख सकता था.
- अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत अब तक चार बार संकटकाल की घोषणा की गयी है–1962, 1965, 1971 तथा 1975 में.
- 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किये गये 38वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत की गयी, संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.
- इस प्रकार अब राष्ट्रपति द्वारा लागू की गयी आपात-कालीन घोषणा को न्याय योग्य बना दिया गया है. अब आपातकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है.
- संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार–संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक अशांति से रक्षा करे तथा यह देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुकूल हो.
- अनुच्छेद 356 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी अन्य प्रकार से यह विश्वास हो जाये कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है.
- ऐसा संकटकाल घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट के लिए हैं. मूल संविधान में संकट की समयावधि छः माह थी.
- 42वें संशोधन द्वारा इस अवधि को एक वर्ष कर दिया गया था, किन्तु 44वें संशोधन द्वारा इस अवधि को पुनः छः माह कर दिया गया है.
- 44वें संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद तभी पारित कर सकेगी जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किये जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है.
- अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि भारत में या उसके किसी भाग में आर्थिक साख को खतरा है, तो यह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है. ऐसी घोषणा के लिए वही विधि निर्धारित है, जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है.
- सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुच्छेद 391 और 392 के अनुसार गवर्नर-जनरल को कुछ अस्थायी शक्तियाँ प्रदान की गयी थीं. संविधान के निर्माताओं ने उक्त अधिनियम का अनुसरण करते हुए कार्यपालिका के प्रमुख को अनेक अस्थायी शक्तियाँ प्रदान की हैं, जो निम्नवत् हैं–
  1. संघ में हिन्दी को राजभाषा बनाने तथा कुछ अल्प-संख्यकों के साथ विशेष व्यवहार सम्बन्धी शक्तियाँ.
  2. भाषा आयोग नियुक्त करने तथा उसके परामर्शानुसार राजभाषा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की शक्ति.
  3. संविधान के अनुसार आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोक सभा के लिए मनोनीत करने की शक्ति.
- स्पष्टतः राष्ट्रपति संवैधानिक ही नहीं–वास्तविक प्रधान भी है.

प्रधानमंत्री
(Prime Minister)

- भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है. वस्तुतः संसदीय शासन-पद्धति के अन्तर्गत प्रधानमंत्री का पद अनिवार्य होता है.

Scanned with CamScanner